IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में बाल श्रमिकों के संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों का अध्ययन

श्वेता सैनी[1], डॉ. रुचि[2]

1. **शोधार्थी समाजशास्त्र विभाग, वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान, भारत**

Sainishweta6376@gmail.com,

2 **सहायक प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, वनस्थली विद्यापीठ राजस्थान 304022**

सार

बाल श्रमिकों के संरक्षण और नियमन हेतु उपलब्ध संवैधानिक एवं वैधानिक प्रावधानों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें भारत के संविधान में उल्लिखित बाल अधिकार, जैसे स्वतंत्रता, समानता एवं जीवन के अधिकार, के साथ-साथ बाल श्रम को नियंत्रित करने वाले विभिन्न अधिनियमों जैसे बाल श्रम निरोधक अधिनियम, बाल अधिकार अधिनियम, तथा श्रम कानूनों का विस्तृत अवलोकन किया गया है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त आईएलओ कन्वेंशनों एवं संधियों का भी अध्ययन किया गया है, जिन्होंने बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं। इस शोध का उद्देश्य इन प्रावधानों की संरचना, कार्यान्वयन की स्थिति एवं प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है। विश्लेषण से पता चलता है कि वर्तमान कानूनी व्यवस्था बाल श्रम के उन्मूलन के लिए आवश्यक प्रावधानों से लैस है, परंतु इनके प्रभावी कार्यान्वयन एवं प्रवर्तन में चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं। अतः, इस अध्ययन में सुझाव दिया गया है कि कानूनी सुधार, जागरूकता अभियान एवं प्रवर्तन तंत्र को मजबूत कर बाल श्रम के खिलाफ

प्रभावी कदम उठाए जाएं, ताकि बाल अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित हो सके। यह अध्ययन नीति निर्धारण एवं विधायी संशोधन के लिए एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करता ।

मुख्य शब्द - बाल श्रम, भारत का संविधान, संवैधानिक प्रावधान, वैधानिक प्रावधान

प्रस्तावना

बाल श्रम भारत में एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जो बच्चों के शारीरिक, मानसिक और शैक्षिक विकास को प्रभावित कर रही है। यह समस्या गरीबी, अशिक्षा, सामाजिक मान्यताओं और आर्थिक मजबूरियों के कारण बढ़ती जा रही है। बच्चों का श्रम के क्षेत्रों में काम करना उनके अधिकारों का उल्लंघन है और यह उनके समुचित विकास में बाधक है। इस समस्या से निपटने के लिए भारत ने संविधान और विधायिका के माध्यम से कई प्रावधान किए हैं। भारतीय संविधान में बाल श्रम से संबंधित कई अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, जो बच्चों के जीवन के अधिकार की सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के श्रम पर रोक लगाता है। इसके अलावा, अनुच्छेद 39(ई) बच्चों को उचित शिक्षा और जीवन स्तर का अधिकार सुनिश्चित करता है, और अनुच्छेद 45 प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य और मुफ्त प्रावधान करता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य बच्चों को शोषण से सुरक्षा देना और उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। संवैधानिक प्रावधानों के साथ-साथ, भारत ने बाल श्रम को नियंत्रित करने के लिए कई कानून भी बनाए हैं। 1986 का बाल श्रम निवारक अधिनियम इन कानूनों में प्रमुख है, जो बाल श्रम को प्रतिबंधित करता है और उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान करता है। इसके अलावा, कारखाना अधिनियम, खनिज अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम जैसे कानून भी बच्चों के शोषण को रोकने में सहायक हैं। हालांकि, इन प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन अभी भी चुनौती है। गरीबी, शिक्षा का अभाव, सामाजिक मान्यताएँ और प्रशासनिक कमजोरी जैसे कारण बाल श्रम को जड़ से खत्म करने में बाधक हैं। अतः, सरकार, समाज और परिवारों को मिलकर जागरूकता फैलानी होगी, शिक्षा को बढ़ावा देना होगा और कानून का कठोर पालन सुनिश्चित करना होगा।

उद्देश्यः

1. बाल श्रम से सम्बन्धित सवैधानिक व कानूनी प्रावधानों का अध्ययन करना।

2. बाल श्रम को रोकने के लिए सम्भावित सुझाव प्रस्तुत करना।

बाल श्रमिकों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान :

भारत के संविधान ने अपने विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से कई मौलिक अधिकार और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निर्धारित किए हैं जो बाल श्रम से संबंधित कानून निर्धारित करते हैं:

भारत के सविधान का अनुच्छेद 21(क) जिसे 86 वाँ सविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था, प्रत्येक राज्य को छह से चौदह वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का आदेश देता है। इस प्रकार संविधान के भाग III के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया गया है। यह संशोधन, 'सभी के लिए शिक्षा' हासिल करने के देश के लक्ष्य में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटना है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23(1) मनुष्यों में अवैध व्यापार एवं जबरन मजदूरी का निषेध "मनुष्यों में अवैध व्यापार एवं 'बेगार तथा जबरन मजदूरी के इसी प्रकार के अन्य स्वरूपों का निषेध करता है तथा इस उपबंध का उल्लंघन करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।"

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 बाल श्रम पर रोक लगाता है, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने, खदान, या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में काम करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(ई) में कहा गया है कि राज्य की सार्वजनिक नीति, कम आयु के श्रमिकों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके साथ दुर्व्यवहार न हो और आर्थिक आवश्यकता के कारण उन्हें ऐसा काम करने के लिए मजबूर न किया जाए जो उनकी आयु के लिए उपयुक्त न हो।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39(एफ) में प्रावधान है कि बच्चों को अवसर दिए जाएंगे और उन्हें उचित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि उनका स्वस्थ विकास हो सके तथा उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान की स्थिति प्रदान की जाएगी ताकि उनके बचपन की रक्षा की जा सके और युवावस्था को भौतिक और नैतिक रूप से परित्यक्त होने से बचाया जा सके।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 में प्रावधान है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि भारत के संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर वह 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 47 यह अनुच्छेद राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कहते हैं कि बच्चों में उचित पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 के अनुसार माता, पिता और अभिभावक का ये कर्तव्य है की वे अपने बच्चों को, जिनकी आयु 6 से 14 वर्ष के बीच के है, उनको शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे

बाल श्रमिकों से संबंधित वैधानिक प्रावधान:

बाल श्रम को रोकने के लिए कई वैधानिक प्रावधान बनाए हैं

बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1989 संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन 20 नवम्बर 1989 को पारित हुआ था, जिसका उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को उनके मूलभूत अधिकार सुनिश्चित करना है। इस सम्मेलन में 54 अनुच्छेद है ये सम्मेलन चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। 1. जीने का अधिकार, 2. विकास का अधिकार, 3. सुरक्षा का अधिकार, 4. सहभागिता का अधिकार । इसमें बच्चों के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों को शामिल किया गया है। यह सम्मेलन कानूनी रूप से बाध्यकारी है और इसके अनुपालन की निगरानी के लिए एक विशेष समिति बनाई गई है। भारत ने इस सम्मेलन को 1992 में स्वीकार किया और इसके बाद बच्चों के अधिकारों की रक्षा हेतु कई कानून और नीतियों बनाई गयी।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन -

राष्ट्र संघ के अभिकरण के रूप में हुई थी। ये सामाजिक न्याय के मार्गदर्शी सिद्धांत बाल अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध के बाद श्रम की समस्या पर केंद्रित है। बाल श्रम करने से बाल श्रमिकों पर दुष्प्रभावों से उन्हे बचाने की चिंता अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा समय-समय पर अंगीकृत किए गए अभिसमयों मे प्रतिबिम्बित है। आईएलओ सम्मेलन संख्या 138 यह सम्मेलन बच्चों को काम पर रखने की न्यूनतम आयु निर्धारित करता है। यह अनिवार्य शिक्षा पूरी करने की आयु से कम नहीं होनी चाहिए और किसी भी स्थिति में 15 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए आईएलओ सम्मेलन संख्या 182 यह सम्मेलन बाल श्रम के सबसे हानिकारक रूपो में जैसे कि दासता, ऋण बंधन, और सशस्त्र संघर्ष में बच्चों के उपयोग को समाप्त करने के लिए कहता है।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) बालश्रम उन्मूलन बाल श्रम को बच्चों के अधिकारों कर उल्लंघन मानता है और इसके उन्मूलन के लिए वैश्विक एवं स्थानीय स्तर पर अनेक प्रयास करता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को शिक्षा, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन प्रदान करना है, ताकि वे शोषण और जबरन श्रम से मुक्त रह सकें। भारत में यूनिसेफ एवं सरकार के साथ मिलकर समेकित बाल संरक्षण योजना और समग्र शिक्षा अभियान जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से बाल श्रम से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास, अनौपचारिक शिक्षा और मानसिक देसखभाल में सहयोग करता है।

कारखाना अधिनियम, 1881 के अनुसार बालश्रमिक की उम्र 7 वर्ष से कम नहीं मानी गई है। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि एक ही दिन में दो कारखानों में काम करने की मनाही है। अधिकतम कार्यकाल के रूप में 9 घंटे निर्धारित किए गए हैं, जिससे अधिक समय तक काम करने की अनुमति नहीं है। साथ ही, यह अधिनियम उन कारखानों पर लागू होता है जहां 100 या उससे अधिक कार्यगार होते हैं। यह कानून श्रमिकों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया था।

कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1891 के अनुसार, बालश्रमिक की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर नौ वर्ष कर दिया गया है। इस अधिनियम में कार्य के घंटे भी निर्धारित किए गए हैं, जिसमें अधिकतम सात घंटे प्रतिदिन काम करने की अनुमति है। साथ ही, रात 8:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे के बीच काम करने पर रोक लगाई गई है, ताकि बच्चों का सुरक्षित श्रम सुनिश्चित हो सके।

खान अधिनियम, 1901 में यह प्रावधान किया गया है कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों का नियोजन निषिद्ध है। इसका उद्देश्य बच्चों को खतरनाक खान कार्यों से दूर रखना और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना था।

कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1911 ने बच्चों के कामकाज के घंटे और प्रक्रिया पर और कड़े नियम लगाए हैं। इस अधिनियम के तहत, रात के 7:00 बजे से सुबह 5:30 बजे तक बच्चों द्वारा काम करने की मनाही की गई है। इसके अलावा, कुछ खतरनाक प्रक्रियाओं में भी काम करने की रोक लगी है। साथ ही, बच्चों के उम्र और सक्षमता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक माना गया है, ताकि उनके योग्यता और सुरक्षा का सही मूल्यांकन किया जा सके।

कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1922

कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1922 में बाल श्रमिकों की आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। इस अधिनियम के तहत, अवयस्कों के काम के अधिकतम 6 घंटे निश्चित किए गए हैं। यदि कार्य के दौरान साढ़े पाँच घंटे से अधिक समय तक काम लिया जाए, तो बीच में आधे घंटे का अवकाश देना आवश्यक है। साथ ही, यह अधिनियम उन मशीनों से चलने वाले कारखानों पर लागू होता है जहां 20 या उससे अधिक कामगार कार्यरत हैं। इसके अलावा, श्रमिकों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र और आयु प्रमाण पत्र आवश्यक माना गया है

भारतीय खान अधिनियम, 1926

भारतीय खान अधिनियम, 1926 में बाल श्रमिकों की आयु 13 वर्ष निर्धारित की गई है। इस अधिनियम का उद्देश्य खान क्षेत्रों में कार्यरत बाल श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इसके तहत, 13 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खान में काम करने से मना किया गया है |

भारतीय बन्दरगाह (संशोधन) अधिनियम, 1931

भारतीय बन्दरगाह (संशोधन) अधिनियम, 1931 यह अधिनियम बालश्रमिक की आयु 12 वर्ष से कम को स्वीकार करता है।

चाय जिला अप्रवासी अधिनियम, 1931

चाय जिला अप्रवासी अधिनियम, 1931 ऐसे बालक चाय के जिलों यथा आसाम आदि में नियोजन या प्रव्रजन नहीं कर सकते, जिनके साथ उनके भी बाप या अन्य वयस्क न हों जिन पर ये बच्चे निर्भर होते है। सन् 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची सत्र में कामगारों के हितों की रक्षा के लिए संकल्प पारित किया गया जिसमें विद्यालय जाने की उम्र के बच्चों को खानो और कारखानो में नियोजित नहीं किये जाने पर बल दिया गया।

बालश्रमिक बन्धक अधिनियम, 1933

बालश्रमिक बन्धक अधिनियम, 1933 के अनुसार, बाल श्रमिकों की अधिकतम आयु 15 वर्ष निर्धारित की गई है। इस अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि अपने बच्चों को दूसरे के यहाँ बंधक के रूप में रखना और नियोजकों से अग्रिम लेकर बंध पत्र लिखना मनाही है।

कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1934

कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1934 के अंतर्गत कारखानों में विभिन्न आयु वर्ग के बालकों के नियोजन को नियंत्रित करने के लिए व्यापक प्रावधान किए गए हैं। इस संशोधन के अनुसार, 12 से 15 वर्ष के बालकों का नियोजन सामान्यतः प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही, इन बालकों का नियोजन केवल 5 घंटे तक ही सीमित किया गया है, ताकि उनके श्रम का समय घटाया जा सके और उनके विकास की रक्षा की जा सके।

भारतीय खनन कानून, 1935

भारतीय खनन कानून, 1935 के अन्तर्गत खनन उद्योग में कार्यरत बालश्रमिकों के संरक्षण हेतु उनकी आयु सीमा बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई।

बाल नियोजन अधिनियम, 1938

बाल नियोजन अधिनियम, 1938 के अनुसार, बाल श्रमिक की आयु 14 वर्ष से कम तय की गई है। इस अधिनियम के अंतर्गत, बन्दरगाहों पर सामानों के हैंडलिंग के लिए न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित की

गई है, ताकि बाल श्रम का प्रयोग सीमित किया जा सके और बच्चों के संरक्षण को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही, 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को रेलवे में यात्रियों का सामान या डाक डोने लेने की मनाही है |

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत यह निर्धारित किया गया है कि बालश्रमिकों की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष होगी। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार को यह अधिकार भी दिया गया है कि वह वयस्कों, किशोरों और बच्चों के लिए अलग-अलग मजदूरी निर्धारित कर सके।

कारखाना अधिनियम, 1948

कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत रात्रि कालीन में कार्य करने वाले बालश्रमिकों की आयु सीमा 14 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही, कार्य की अवधि भी साढ़े चार घंटे तक सीमित कर दी गई है, ताकि बालश्रमिकों का शोषण न हो और उनका स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बागान श्रमिक अधिनियम, 1951

इस अधिनियम के अनुसार, बाल श्रम की उम्र सीमा 15 वर्ष निर्धारित की गई है। यह कानून खासतौर पर उन बागानों जैसे कि चाय, रबर, मसाले आदि से संबंधित उद्योगों में कार्यरत छोटे श्रमिकों पर लागू होता है। इसमें यह निर्देश दिया गया है कि 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इन उद्योगों में काम नहीं कर सकते।

कारखाना (संशोधन) अधिनियम, 1954

इस संशोधन द्वारा रात्रि में 17 साल से कम आयु के बालकों का नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। "रात्रि" में 12 घंटों की निरंतर अवधि जिसमें रात्रि 10 बजे प्रातः 7 बजे तक की अवधि शामिल है।

वाणिज्यिक जहाजरानी अधिनियम, 1958

इस अधिनियम द्वारा किन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों को छोड़कर किसी जहाज में किसी हैसियत से 15 साल से कम आयु के बालक को काम पर लगाया जाना प्रतिबंधित किया गया।

मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम, 1961

के तहत, यह अधिनियम किसी भी मोटर परिवहन उपक्रम में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाता है। हालांकि, यह किशोरों के नियोजन की अनुमति प्रदान करता है, बशर्ते कुछ निर्दिष्ट शर्तें पूरी की जाएं। इस संदर्भ में, 'बाल' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, जबकि 'किशोर' का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसने 14 वर्ष की आयु तो पूरी कर ली है, लेकिन 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंचा है।

एप्रेन्टिस अधिनियम, 1961

के अनुसार, अवयस्क के नियोजन के लिए उसके अभिभावक का नियोजक के साथ अनुबंध अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, अवयस्क की शारीरिक एवं शैक्षणिक क्षमता का प्रमाण-पत्र भी आवश्यक है। यह अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि अवयस्क को रात के समय, यानि कि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक, काम करने की अनुमति नहीं है। यदि इस नियम का उल्लंघन किया जाता है, तो नियोजक पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बीडी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अनुसार, 14 से 18 वर्ष के किशोर श्रमिकों को रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक काम करने से मना किया गया है।

बाल नियोजन (संशोधन) अधिनियम, 1978

15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रेलवे परिसरों में कोयला चुनने, राख का गड्ढा साफ करने, निर्माण कार्यों, खान-पान के प्रतिष्ठान तथा रेलवे लाइन के पास अथवा दो रेलवे लाइनों के बीच काम करने की मनाही का प्रावधान किया गया।

खतरनाक मशीन (विनिमय) अधिनियम, 1983

बालश्रमिक की आयु 14 वर्ष।

बालश्रमिक (प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम) 1986

यह अधिनियम बालश्रम के कल्याण के लिये पारित किया गया है। इसके अनुसार अधिकतम काम के घण्टे वहीं होंगे जो ऐसे प्रतिष्ठानों के लिये सरकार द्वारा प्रस्तावित किये जाएं। इसके अतिरिक्त धारा 7 में यह भी प्रावधान है- एक दिन में किसी बाल श्रमिक से अधिकतम 6 घण्टे काम लिया जा सकता है और इसी में विश्राम के लिये समय भी सम्मिलित है। साथ ही किसी भी बच्चे से रात के 7 बजे से सुबह के 8 बजे के बीच काम कराने की मनाही है तथा वह उक्त 6 घण्टे के अतिरिक्त अधिकाल कार्य नहीं कर सकता। किसी बच्चे से किसी प्रतिष्ठान में ऐसे दिन काम करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी या सहमति नहीं ली जायेगी |

किशोर न्याय अधिनियम, 2000

इसमें किये गये प्रावधानों को बच्चों के अनुकूल बनाये जाने हेतु किशोर अपराधियों के नाम पता, विधालय या कोई अन्य विवरण प्रकट नही किया जाएगा जो किशोरो की पहचान करा सकती हो और न ही ऐसे किसी किशोर की फोटो प्रकाशित होगी। परन्तु जांच करने वाला प्राधिकारी ऐसे किसी प्रकरण की अनुज्ञा दे सकता है यदि उसकी राय में प्रकटन किशोर के हित में है |

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार विधेयक, 2009

भारत के शिक्षा क्षेत्र में 1 अप्रैल सन् 2010 का दिन ऐतिहासिक है। क्योंकि इस दिन पूरे देश में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 को लागू कर दिया गया है। यह अधिनिमय 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को समीप के स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार दिलाने वाला है। यूनिसेफ ने इस अधिनियम का स्वागत किया है।

POCSO अधिनियम, 2012 (बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण अधिनियम) भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीडन, शोषण और अश्लीलता जैसे अपराधों से कानूनी सुरक्षा देने हेतुबनाया गया एक विशेष कानून है। यह अधिनियम लैंगिक रूप से तटस्थ है, यानी यह लड़के और लड़कियों दोनों को समान सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें यौन अपराधों की स्पष्ट परिभाषा दी गयी है जैसे यौन शोषण, यौन उत्पीड़न, अश्लील चित्रण आदि, और इनके लिए कठोर दंड का प्रावधान है।

शोध-प्रविधिः

प्रस्तुत शोध पत्र विषय से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण पर आधारित है तथा इससे सम्बन्धित तथ्यों का संकलन द्वितीय स्रोतों के रूप में विभिन्न पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया है। साथ ही शोध पत्र में मुख्यतः ऐतिहासिक, वर्णनात्मक पद्धति का प्रयोग किया गया है। बच्चे देश, राष्ट्र व समाज के निर्माता होते है अतः देश व समाज का दायित्व होता है कि वह अपनी अमूल्य निधि को सहेज कर रखे। इसके लिए आवश्यक हैं कि बच्चों की शिक्षा, लालन-पालन, शारीरिक, मानसिक विकास, समुचित सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाये। बच्चों का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। गरीब बच्चे सबसे अधिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। गरीब बच्चों का जीवन भी अत्यधिक शोषित है। छोटे-छोटे गरीब बच्चे स्कूल छोड़कर बाल श्रम हेतु मजबूर हैं। जो समाज अपने बच्चो के लिए संवेदनशील नही है वह अपने राष्ट्र के भविष्य के प्रति कभी गम्भीर नहीं हो सकता।

सुझाव

बाल श्रमिकों के संरक्षण हेतु संविधान एवं विधायिका ने अनेक प्रावधान किए हैं। संविधान में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, साथ ही अनुच्छेद 39 में बच्चों के हित में नीतियां बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, बाल श्रम निषेध अधिनियम, 1986 एवं बाल श्रम (प्रतिबंध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 जैसे कानून बनाए गए हैं, जिनके माध्यम से बाल श्रमिकों का शोषण रोकने का प्रयास किया जाता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य बाल श्रमिकों को शोषण से बचाना, उन्हें शिक्षा एवं स्वस्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना तथा उन्हें पुनर्वास की ओर अग्रसर करना है। हालांकि, इन नियमों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं समाज में जागरूकता की कमी के कारण बाल श्रम अभी भी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इसलिए, आवश्यक है कि इन कानूनी प्रावधानों का कठोरता से पालन किया जाए, समाज में जागरूकता बढ़ाई जाए और बाल श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा हेतु निरंतर प्रयास किए जाएं।

निष्कर्ष

भारत में बाल अधिकारों और बाल श्रम के नियंत्रण के लिए संवैधानिक, वैधानिक और अंतरराष्ट्रीय प्रावधान मौजूद हैं, जिन्होंने बाल श्रम को रोकने और बच्चों के संरक्षण के लिए आधारशिला रखी है। संविधान में अनुच्छेद 21A, 24, 39-ई, 39-एफ, 45 और 47 जैसे प्रावधान बाल अधिकारों की रक्षा और बाल श्रम पर प्रतिबंध सुनिश्चित करते हैं। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन और ILO कन्वेंशनों ने बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं। भारत में बाल श्रम को नियंत्रित करने के अनेक कानून और संशोधन जैसे कारखाना अधिनियम, बाल श्रम निरोधक अधिनियम, किशोर न्याय अधिनियम आदि लागू हैं, जो उम्र सीमा, कार्य अवधि और कार्यस्थल सुरक्षा जैसे प्रावधान करते हैं। हालांकि, इन प्रावधानों के बावजूद प्रभावी कार्यान्वयन और जागरूकता की कमी से बाल श्रम अभी भी जारी है। अतः, बाल अधिकारों की रक्षा और बाल श्रम के अंत के लिए कानूनी सुधार, जागरूकता अभियान और प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना आवश्यक है, ताकि बच्चों का शोषण समाप्त हो सके और उनका सुरक्षित व स्वस्थ विकास सुनिश्चित हो सके।

संदर्भ

1. Ministry of Labour and Employment, Government of India. (1952). Khan Act, 1952. India: New Delhi.
2. 2 India. (1948). Factories Act, 1948. Ministry of Labour and Employment.
3. nternational Labour Organization (ILO) – UNTFSSE. (n.d.). https://unsse.org/about/members/ilo/
4. India. (1948). Minimum Wages Act, 1948. Ministry of Labour and Employment.
5. International Labour Organization (ILO) – UNTFSSE. (n.d.). https://unsse.org/about/members/ilo/
6. Org.uk.(n.d.) from https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/resources/teaching-resources/for-every-child-book/
7. Unicef.org. from https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children
8. Gov.In.fromhttps://labour.gov.in/sites/default/files/the_child_labour_prohibition_and_regulation_act_1986.pdf
9. The Indian penal code, 1860. (n.d.). Indiankanoon.org. Retrieved September 20, 2025, from https://indiankanoon.org/doc/1569253/
10. Unicef.org. from https://www.unicef.org/reports/state-of-worlds-children
11. Nic.In. https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2189/2/H1881-26.pdf

12. Narayan, C. L., & John, T. (2017). The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016: Does it address the needs of the persons with mental illness and their families. Indian journal of psychiatry, 59(1), 17-20. https://doi.org/10.4103/psychiatry. IndianJPsychiatry_75_17

13. N. Slundara Ramaiah, "Child Labour in India: Causes, Consequences, Legal provisions and Efforts," *International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT)*, Volume 10, Issue 11, November 2022, pp. 1-4.

14. Prakash, A. (2022). *Child rights and their problems*. Jlrjs.com. 2(1). from https://jlrjs.com/wp-content/uploads/2022/12/48.

15. Kumar, S. (2022). A critical Study on children protection in India.*International Journal of Law, Justice and Jurisprudence*. 2(2), 76-80.

16. योजना आयोग)2013). भारत में गरीबी और बाल श्रम पर विश्लेषणात्मक रिपोर्टनई . भारत सरकार। :दिल्ली

17. चतुर्वेदी, एस., & सिंह, एस) .वी .ए .ए .आर .2011). बाल श्रम :मानव विकास से इनकार। इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, 72(1), 135-142.

18. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32): अर्थ, प्रावधान और महत्त्व. (2024, May https://www.constitutionofindia.net/articles/article-23-prohibition-of-traffic-in-human-beings-and-forced-labour/[अनुच्छेद 23: मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध]. भारत का संविधान. अभिगमन तिथि: 17 अप्रैल 2024.

19. कारख़ाना अधिनियम, 1881 - भारतकोश, ज्ञान का हिन्दी महासागर. (n.d.). https://bharatdiscovery.org/india/%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%96%E0%A4%BC%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%BE_%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE,_1881